न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर,
आर.ए.एस.

अपील संख्या — 19/2016

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.किसना पुत्र उका के कायम मुकामः– 1/1–कसुम्बी पत्नि किसना 1/2–सुरेश गोदपुत्र किसना 2.पुनमा पुत्र उका, जातियान् माली, निवासीगण केशवना, तहसील व जिला जालोर		1.लच्छीया उर्फ लच्छाराम पुत्र कसीया, 2.नरींगा पुत्र नरसीया पुत्र केसीया 3.डूंगा उर्फ डूंगरीया पुत्र केसीया जाति माली, निवासी केशवना, तहसील व जिला जालोर 4.राज.सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार जालोर,दिनांक 1.12.2015(ना.क.सं.1225)

उपस्थिति :–
1.श्री रमेश सोलंकी,अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1से 3 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.4 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 14.5.2018

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त कब्जासुद खातेदारी आराजी अविभाजित मौजा केशवना में खसरा नम्बर 205 रकबा 4.25 हेक्टर, बारानी सोयम, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.75 हेक्टर किस्म बारानी सोयम,खसरा नम्बर 207 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.15 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 209 रकबा 1.05 हेक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 210 रकबा 1.20 हेक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 211 रकबा 1.20 हेक्टर किस्म बारानी दोयम की स्थित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी को विभाजित करने हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम के तहत् न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर के यहां पेश किया जो राजस्व वाद सं. 53/2011 ,लच्छीया बनाम किसना पेश किया जिसमें दिनांक 7.7.2015 को उक्त वाद निस्तारित करते हुए आदेश दिया गया कि उक्त विवादित आराजी सरहद मौजा केशवना के खसरा नम्बर 205 से 211 तक का पक्षकारान् के उनके हक हिस्से व हक टाईटल अनुसार बाईमिट्स एवं बाउन्ड्स के आधार पर बराबर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का अन्तिम बंटवाडा करे तथा अलग अलग खाते कायम कर व लगान आदि कायम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे, का निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार जालोर द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिलावट कर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत बंटवाडे के आधार पर कागजों में बाला–बाला खोलने का आदेश संख्या /राजस्व/3323 दिनांक 10.11.2015 दिया तथा उसकी पालना में म्यूटेशन जैर अपील भर दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट, पटवारी हल्का के पास दिनांक 11.12.2015 को गया तथा कहा कि हमारा बंटवाडा अभी तक क्यों नही कर रहे हो, तब पअवारी हल्का ने कहा कि बंटवाडा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 1.12.2015 को कर दिया गया है तब अपीलांट ने पटवारी हल्का जालोर को नकल देने हेतु कहा ,पटवारी हल्का ने जालोर से नकल लेकर आने का कहा, जिस पर अपीलांट दिनांक 11.12.2005 को जालोर आया व नकल लेकर पटवारी के पास गया तो पटवारी ने म्युटेशन दर्ज कर जमाबंदी दी ,तब अपीलांट को पूरी जानकारी हुई।अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर द्वारा आदेश व डिक्री की पालना में बंटवाडा नही कर अपनी मनमर्जी अनुसार रेस्पोडेन्ट को गलत फायदा पहुंचाने के लिये बंटवाडा किया, खसरा नम्बर 505 मुख्य सडक पर आया हुआ है व भूमि की अच्छी किस्म है व कीमती जमीन रेस्पोडेन्ट को देने के उद्देश्य से जैर अपील म्युटेशन पारित किया गया है। जैर अपील म्युटेशन सं. 1225 दिनांक 1.12.2015 को भरा गया जिसकी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो नई अपील पेश करने की अनुमति के साथ पूर्व अपील दिनांक 16.3.16 को विड्रो करने की अनुमति दी गई है,लेकिन आदेश संख्या /राजस्व /3323 दिनांक 10.11.2015 का ज्ञान अपीलांट को नही था, उक्त आदेश का ज्ञान दिनांक 16.3.2016को होने पर नई अपील पेश की है जो अन्दर म्याद है। अतः तहसीलदार जालोर का आदेश संख्या/राजस्व/3323दिनांक 10.11.2015 व म्युटेशन सं. 1125दिनांक 1.12.2015 को निरस्त करावे तथा नये सिरे से बंटवाडा कर म्युटेशन भरा जाने का आदेश तहसीलदार जालोर को दिया जावे।

अपीलांट ने अपील में फहरिस्त के साथ बंटवाडा आदेश दिनांक10.11.15 की प्रति,अति. जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 16.3.16 की प्रति,म्युटेशन की प्रति तथा सहायक कलेक्टर जालोर के आदेश दिनांक 7.7.2015 की प्रति पेश की,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट वकील ने अपील प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि तहसीलदार जालोर ने सहायक कलेक्टर जालोर के राजस्व वाद सं. 53/2011, लच्छीया बनाम किसना , निर्णय दिनांक 7.7.2015 की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिलावट कर बंटवाडा कागजों में बाला बाला ,अपीलांट की सहमति अथवा असहमति का कोई कथन किये बिना तहसीलदार जालोर को प्रस्तुत किया व तहसीलदार जालोर ने आदेश सं./राजस्व/3323दिनांक 10.11.2015 को आदेश देते हुए म्युटेशन भर दिया ,जबकि सहायक कलेक्टर जालोर के निर्णय में उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 205 से 211 तक का पक्षकारान् के हक हिस्से व हक टाईटल अनुसार बाईमिट्स एवं बाउन्डस के आधार पर बराबर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का अन्तिम बंटवारा किया जाने का आदेश दिया गया था। सहमति के मौका पर्चा पर अपीलांट के कोई हस्ताक्षर नही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर द्वारा पारित आदेश कमांक/राजस्व/3323 दिनांक 10.11.2015 व मौजा केशवना का मयुटेशन सं. 1125दिनांक 1.12. 2015को निरस्त कर नये सिरे से बंटवाडा कर म्युटेशन भरने हेतु प्रकरण तहसीलदार जालोर को रिमाण्ड किया जावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 से 3 के वकील ने बहस में बताया कि अपीलांट किस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में आये है।अगर अपीलांट बंटवाडा आदेश के विरूद्ध आये है तो बंटवाडा आदेश कमांक/राजस्व/3323 दिनांक 10. 11.15के विरूद्ध आये है तो उक्त आदेश तहसीलदार जालोर द्वारा सहायक कलेक्टर जालोर के धारा 53 के तहत् राजस्व वाद सं.53/11 के निर्णय दिनांक 7.7.15 की पालना में जारी किया गया है। अतः अपीलांट को राजस्व वाद सं.53/11 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी और इसी आदेश कमांक/राजस्व/3323 दिनांक 10.11.15 की पालना में म्युटेशन सं.1225 भरा जाकर तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 1.12.2015को स्वीकार किया गया है। रिबटल में अपीलांट वकील ने बताया कि यह अपील म्युटेशन 1225दिनांक 1.12.15 के विरूद्ध धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम1956 में इस न्यायालय में पेश की है। रेस्पोडेन्ट सं.1 से 3 के वकील ने बताया कि म्युटेशन अनियमितता नही है, उक्त म्युटेशन आदेश की पालना में

भरा गया है। अपीलांट्स द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील सं.112/2015 किसना के कायम मुकाम बनाम लच्छीया उर्फ लच्छाराम वगैराह ,निर्णय दिनांक 16.3.16 द्वारा बंटवाडा आदेश की अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाकर अपील खारिज की गई है, दूसरी बार भी अपीलांट पूर्व की भांति म्युटेशन आदेश के विरूद्ध आये है। इसके अलावा,अपीलांट को आदेश दिनांक 1.12.2015 की जानकारी दिनांक 22.12.2015को पूर्व मे ही हो गई थी जो इस न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 112/2015 के आदेशिका व निर्णय की फोटो प्रति से स्पष्ट है, और दिनांक 22.12.2015 की जानकारी के बाद यह अपील दिनांक 22.3.16 को पेश की गई जो करीब 3 माह बाद पेश की जाने से अपील म्याद बाहर है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

3. . उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट ने बहस में बताया कि अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार जालोर के म्युटेशन 1225 में पारित आदेश दिनांक 1.12.2015 के विरूद्ध धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समझी जावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश नही किया गया है। अपील में जानकारी की तिथि 11.12.2015बताई है तथा अपीलांट किसना के कायम मुकाम द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील सं. 112/2015 ,किसना के कायम मुकाम बनाम लच्छीया उर्फ लच्छाराम वगैराह के दायर दिनांक 22.12.15 अनुसार अपीलांट को नामान्तरकरण सं. 1225 की जानकारी दिनांक 22.12.2015 को हो गई थी। अपीलांट को अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश करना चाहिये था। इसके अलावा, अपीलांट द्वारा अपील सं. 112/2015, किसना के कायम मुकाम बनाम लच्छीया उर्फ लच्छाराम वगैराह जो नायब तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 1.12.2015(ना.क. सं.1225) के विरूद्ध पेश की गई थी, में निर्णय दिनांक 16.3.2016 को आदेश पारित किया गया था कि अपीलाधीन म्युटेशन सं. 1225 जो बंटवाडा आदेश की पालना में भरा गया है,अतः जब तक बंटवाडा आदेश को निरस्त नही किया जावे तब तक अपीलाधीन म्युटेशन को निरस्त नही किया जाना उचित नही है। बंटवाडा आदेश सहायक कलेक्टर जालोर के वाद सं 53/11 के निर्णय दिनांक 7.7.2015की पालना में जारी किया गया है और बंटवाडा आदेश की पालना में म्युटेशन सं.1225

भरा गया है। अतः अपीलांट को इस न्यायालय के अपील सं.112/2015 में पारित निर्णय दिनांक 16.3.2016 के अनुसार सहायक कलेक्टर जालोर के राजस्व वाद सं. 53/2011, निर्णय दिनांक 7.7.2015 के विरूद्ध अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में करनी चाहिये थी लेकिन अपीलांट ने पुनःइस न्यायालय में अपील सं.19/16 पेश की है। अतः अपीलांट को इस म्युटेशन अपील के जरिये कोई अनुतोष दिया जाना उचित नही है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नायब तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 1.12.2015 (म्युटेशन सं. 1225) के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती हैं पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

Sd.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 14.5.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

Sd.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर